भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 3218

18 दिसम्बर, 2025 को उत्तर दिये जाने के लिए

महाराष्ट्र के गुंठेवारी क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत लाभ

†3218. श्री विशालदादा प्रकाशबापू पाटीलः

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि औपचारिक भवन निर्माण अनुमति की अनिवार्यता के कारण महाराष्ट्र के शहरी केंद्रों के गुंठेवारी क्षेत्र में रहने वाले बड़ी संख्या में परिवार प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं;
(ख) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गुंठेवारी क्षेत्र में अभी तक प्रशासनिक प्रक्रियाओं के कारण अनुमोदित न होने वाले प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत दस्तावेजों की आवश्यकता संबंधी मुद्दे के समाधान हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;
(ग) प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी के तहत समावेशिता बढ़ाने के लिए चल रहे नियमितीकरण अभियान के तहत महाराष्ट्र के आदिवासी और सुदूर क्षेत्रों में लाभार्थियों के लिए तकनीकी दस्तावेज़ीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और
(घ) क्या सरकार 'सभी के लिए आवास' के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए गुंठेवारी क्षेत्र में औपचारिक भवन निर्माण अनुमति की अनिवार्यता को संशोधित करने पर विचार कर रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय (एमओएचयूए) दिनांक 25.06.2015 से प्रधान मंत्री आवास योजना-शहरी (पीएमएवाई-यू) का कार्यान्वयन कर रहा है, जिसका उद्देश्य देश भर में पात्र शहरी लाभार्थियों को बुनियादी नागरिक सुविधाओं के साथ हर मौसम में रहने योग्य पक्के आवास प्रदान करना है। वित्त पोषण पैटर्न और कार्यान्वयन पद्धति में बदलाव किए बिना स्वीकृत आवासों को पूरा करने के लिए पीएमएवाई-यू योजना की कार्यान्वयन अवधि को दिनांक 31.12.2025 तक बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले 31.03.2022 तक थी।

पीएमएवाई-यू के कार्यान्वयन के अनुभवों से मिली सीख के आधार पर, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने इस योजना को नया रूप दिया है और अगले पांच वर्षों में 1 करोड़ अतिरिक्त पात्र लाभार्थियों की सहायता करने के उद्देश्य से देश भर के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वयन के लिए 01.09.2024 से पीएमएवाई-यू 2.0 'सभी के लिए आवास' मिशन शुरू किया है। पीएमएवाई-यू 2.0 का कार्यान्वयन चार घटकों अर्थात् लाभार्थी-आधारित निर्माण (बीएलसी), साझेदारी में किफायती आवास (एएचपी), किफायती किराया आवास (एआरएच) और ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएस) के माध्यम से किया जा रहा है।

पीएमएवाई-यू 2.0 योजना के दिशानिर्देशों के अनुसार, कार्यान्वयन एजेंसियां लाभार्थी द्वारा ऑनलाइन/ऑफलाइन माध्यम से प्रस्तुत की गई जानकारी, जैसे आवास निर्माण योजना, भूमि के स्वामित्व संबंधी दस्तावेज और अन्य विवरण (जैसे आर्थिक स्थिति और पात्रता) आदि का सत्यापन करेंगी। तथापि, जहाँ राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मानित अनुमोदन या पूर्व अनुमोदित आवास निर्माण योजना के प्रावधान वाले आवासों के निर्माण के लिए छूट दी गई है, वहाँ आवास निर्माण योजना पर जोर नहीं दिया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, केंद्रीय सहायता प्राप्त करने हेतु आवश्यक तकनीकी दस्तावेज़ों की व्यवस्था करने की प्रक्रिया को लाभार्थियों के लिए सरल बनाने के उद्देश्य से लाभार्थियों को लागू प्रक्रियाओं के माध्यम से आवासो की प्रगति को जियो–टैग करने की अनुमति भी दी जाएगी। तत्पश्चात, शहरी स्थानीय निकाय/कार्यान्वयन एजेंसियां लाभार्थी द्वारा दर्ज किए गए जियो–टैग की स्थिति की निगरानी और अनुमोदन करेंगे, ताकि लाभार्थियों को निधियां जारी की जा सकें।

इसके अतिरिक्त पीएमएवाई-यू 2.0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित है कि वे निजी निवेश को आकर्षित करने और देश में किफायती आवास स्टॉक को बढ़ाने हेतु अनुकूल माहौल तैयार करने के लिए प्रमुख सुधारों को अपनाएं तथा 'किफायती आवास नीति' तैयार करें ।

*****